



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 886) पटना, बुधवार, 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

14 जनवरी 2020

सं० 2321— पटना जिलान्तर्गत श्री सर्वमंगला देवी मंदिर, स्टेशन रोड, गुलजारबाग, जिला—पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 351 है।

सर्व मंगला देवी मन्दिर में न्यास समिति गठित करने हेतु मन्दिर प्रागण के दुकानदार एवं स्थानीय कुछ सज्जन पर्षद के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि विगत 4 वर्षों से किसी दुकानदार से किराये की वसूली नहीं की गयी है। कोई व्यक्ति किराया लेने को तैयार नहीं है। न्यास की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर दुकान/गोदाम खोल दिया है। मंदिर की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गयी है।

संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पर्षद द्वारा दिनांक 18.09.2014 को 05 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था, परन्तु उचित रूप से कार्य नहीं कर पाने के कारण पर्षद के आदेश दिनांक 09.09.2016 द्वारा समिति के सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर 11 सदस्यीय न्यास समिति गठित की गयी थी। उक्त वर्ष 2014 और 2016 में गठित समिति भी अपने कार्यों को करने में असफल रही। न्यास समिति के सचिव श्री ब्रह्मानंद चतुर्वेदी का देहावसान दिनांक 18.12.2018 को हो गया। पर्षद द्वारा मंदिर के सुचारु व्यवस्था हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी से पर्षद के पत्र दिनांक 11.09.2019, दिनांक 07.01.2019, दिनांक 18.01.2018 एवं दिनांक 17.03.18 के माध्यम से पत्र भेज कर अच्छे चरित्र एवं धार्मिक चरित्र वाले व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी थी, जो अप्राप्त रही। इसी बीच आम जनता द्वारा दिनांक 25.07.2017 को 11 व्यक्तियों के नामों का चयन कर नवीन न्यास समिति गठन करने का अनुरोध किया गया था। इसका सत्यापन पर्षद के पत्र दिनांक 19.01.2018 द्वारा संबंधित थाना को प्रेषित किया गया। पुलिस निरीक्षक—सह—थानाध्यक्ष, आलमगंज, पटना सिटी के पत्र—डी0आर0 नं०—459/18, दिनांक 20.02.2018 द्वारा चरित्र—सत्यापन प्राप्त हुआ।

अतः वर्ष 2014 में गठित न्यास समिति की संख्या की बढ़ोत्तरी दिनांक 09.09.2016 द्वारा की गयी थी। न्यास समिति अपने सभी कार्यों में असफल रहने, पर्षद द्वारा मांग किये जाने के बावजूद भी विवरणी तथा शुल्क इत्यादि नहीं जमा करने के कारण विघटित की जाती है एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री सर्वमंगला देवी मंदिर, स्टेशन रोड, गुलजारबाग, जिला— पटना” के सुचारु

प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री सर्वमंगला देवी मंदिर न्यास योजना, स्टेशन रोड, गुलजारबाग, जिला-पटना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री सर्वमंगला देवी मंदिर न्यास समिति, स्टेशन रोड, गुलजारबाग, जिला- पटना” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्यों को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा।
13. न्यास समिति बैठक आहूत कर, कोषाध्यक्ष का चयन कर, पर्षद से अनुमोदन प्राप्त करेगी। पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|--|-------------|
| (1) श्री अशोक कुमार गुप्ता (अ0 प्र0 पुलिस महानिदेशक) | — अध्यक्ष |
| पिता— स्व0 राजेन्द्र प्रसाद, मो0— बेलवरगंज, था0— आलमगंज, पटना— 07. | |
| (2) श्री वशिष्ठ नारायण सिंह (अ0 प्रा0 स्टेशन मास्टर) | — उपाध्यक्ष |
| पिता— भोला सिंह, न्यु कूज, कॉलोनी, पूर्वी बहादुरपुर, राजेन्द्र नगर, पटना। | |
| (3) श्री कंचन कुमार (अधिवक्ता) | — सचिव |
| पिता— स्व0 रामचन्द्र महतो, मो0— मूतर्जीगुज, था0— मेंहदीगंज, जिला— पटना। | |
| (4) श्री उमेश प्र0 शर्मा | — सदस्य |
| पिता— स्व0 रामेश्वर मिस्त्री, मच्छरहट्टा गली, रानीपुर, मिल्की, था0— खाजेकलां, पटना। | |
| (5) श्री रविकांत चौधरी (अधिवक्ता) | — सदस्य |
| पिता— स्व0 रामकृष्ण चौधरी, मोगलपुरा, फौजदारी कुआं, देवी स्थान, था0— खाजेकलां, पटना। | |
| (6) श्री जगदीश प्रसाद | — सदस्य |
| पे0— स्व0 सौदागर साव, मोगलपुर, जग्गी का चौराहा, था0— खाजेकलां, पटना। | |
| (7) श्री पवन कुमार | — सदस्य |
| पिता— स्व0 सच्चिदानंद पटेल, शिव मंदिर, अमरपुर पैजावा, था0— मेंहदीगंज, पटना। | |
| (8) श्री अशोक कुमार गुप्ता | — सदस्य |
| पिता— स्व0 सत्यनारायण गुप्ता, दादरमंडी, एयरसेल मोबाइल टावर के सामने, गुलजारबाग, था0— आमलगंज, पटना। | |
| (9) श्री सरोज कुमार गुप्ता उर्फ राजु गुप्ता | — सदस्य |
| पे0— स्व0 रामनिरंजन साव, नीम की भट्टी, मंदिर सम्पतचक, था0— आलमगंज, पटना। | |
| (10) श्री भोला यादव | — सदस्य |
| पिता— स्व0 कलुट यादव, आई0डी0एच0 क्वार्टर, तुलसी मंडी, पटना सिटी, पटना। | |

(11) श्री राकेश वल्लभ उर्फ डब्लू यादव पिता— स्व० गिरीराज बल्लभ
पता— बल्लभ हाउस, बेलवरगंज, पटना— 800007.

— सदस्य

यह न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है, पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात् इसके स्थायी करने पर विचार किया जायेगा। उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में “श्री सर्वमंगला देवी मंदिर का नाम में परिवर्तन नहीं होगा।”

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 886-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>